न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
34 / 2025	03 / 03 / 2025	28 / 07 / 2025

– उनवान –

आशीष पुत्र रामजीलाल
उर्मिला पत्नि रामजीलाल
कैलाश चन्द पुत्र रामेश्वर
रामदयाल पुत्र रामेश्वर
विष्णु पुत्र रामजीलाल
समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम आंधी तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

अनवर खां पुत्र कासिम खां
अली मोहम्मद पुत्र गुलाब
आमीन खां पुत्र कासिम खां
इन्दू खां पुत्र गुलाब खां
अमरान खां पुत्र रमजू खां
इरफान खां पुत्र रमजू खां
इस्लाम खां पुत्र कासिम खां
धौलू खां पुत्र रमजू खां
निजाम खां पुत्र कासिम खां
0 बानो बेगम पत्नि कासिम खां
1 मुशी खां पुत्र करीम खां
2 याकुब खां पुत्र गुलाब खां
3 रज्जाक खां पुत्र कासिम खां
4 सत्तार खां पुत्र गुलाब
समस्त जाति मुसलमान निवासी ग्राम आंधी तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री रामस्वरूप शर्मा – वकील प्रार्थीगण।
श्री राजेश कुमार वर्मा – वकील अप्रार्थी सं0 1 लगायत 14

प्रार्थनापत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251–ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णय :–

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि ग्राम आंधी पटवार हल्का आंधी तहसील आंधी जिला जयपुर में खसरा नम्बर 562 रकबा 0.8200है0 खातेदारी की भूमि स्थित है। जिसमें आने जाने हेतु खसरा नम्बर 558 में से आने जाने का कच्चा रास्ता स्थित है। जो अप्रार्थीगण की भूमि में से स्थित है। जो चालू कच्चा रास्ता है। जिसमें से प्रार्थीगण अपनी

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

खातेदारी भूमि मे कई वर्षों से आते जाते है तथा वर्तमान मे अप्रार्थीगण की भूमि मे कच्चा रास्ता बना हुआ स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 562 के चारों ओर कोई भी अन्य आने जाने का राजस्व नक्शे में रास्ता दर्ज नही है और मौके पर कोई रास्ता उक्त खसरा नम्बर 562 मे आने जाने के लिए नही है तथा खसरा नम्बर 558 में आते जाते है तथा कच्चा रास्ता बना हुआ है तथा प्रार्थीगण पूर्व से उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है लेकिन कुछ समय से अप्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा नम्बर 558 मे से कच्चे रास्ते से प्रार्थीगण को आने जाने हेतु बाधा उत्पन्न करते है तथा इसके अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी मे आने जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नही है। जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा नम्बर 562 में आने जाने मे बहुत परेशान हो रहे है और अपनी भूमि की जुताई बुआई करने के लिए कोई साधन नही ले जा पा रहे है। अप्रार्थीगण के मन मे कुछ समय से बदनियति आ गयी है और वह उक्त कच्चे रास्ते मे बाधा उत्पन्न करने लगे है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से कई मर्तबा आग्रह किया व प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि आपसी सहमति से रिकार्ड में रास्ता कायम करवा ले तथा अप्रार्थीगण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 558 में से आने जाने हेतु सहमति देने के बाद भी अप्रार्थीगण इस हेतु अंतिम रूप से दिनांक 25.02.2025 को इन्कार हो गये और एलानिया कहा कि अब हमउ का कच्चे रास्ते का उपयोग उपभोग नही करने देगे ना ही रास्ता रिकार्ड मे दर्ज करवायेगें तथा तुमको यहा से आने जाने नही देगे और तुम्हारे खिलाफ झुठे मुकदमे दर्ज करवा देगे तथा उक्त कच्चे रास्ते को बन्द कर देगे जिस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः ग्राम आंधी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 562 की खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 558 में से होकर आवश्यकता अनुसार संलग्न नक्शे में दर्शित पीले रंग अनुसार राजस्व रिकार्ड मे गै0मु0रास्ता दर्ज किया जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज0 काश्तकारी अधि0 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाकर से तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 15 (पैरोकार सरकार तहसीलदार आंधी) ने जवाब अपने पत्रांक/आरटी/2025/363 दिनांक 14.05.2025 द्वारा पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 562 रकबा 0.82हे0 वादीगण एवं अन्य के नाम संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 562 पर आवागमन के लिए रिकार्डेड रास्ता दर्ज नही है। वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 558 की दक्षिणी सीमा के लगवा रास्ता चाहा गया है परन्तु मौके पर खसरा नम्बर 558 की दक्षिणी सीमा के पास पुख्ता कमरा बना हुआ है जो कि रहने के उपयोग में आ रहा है। खसरा नम्बर 558 की उत्तरी सीमा के लगता हुआ रास्ता प्रस्तावित विभाजन उचित प्रतीत होता है उक्त प्रस्तावित रास्ते के संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है जिसकी लम्बाई 58 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर है अर्थात क्षेत्रफल 232 वर्गमीटर है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड के खसरा नम्बर 558 पर माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट्ट्रेक जमवारामगढ के मु0नं0 42/2025 उनवान धोलू बनाम अनी मोहम्मद में मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्राप्त है एवं निवेदन किया कि डी0एल0सी0 की दुगुनी राशि जमा करवाकर रास्ता दिया जावें।

अप्रार्थी सं0 1 लगायत 14 की ओर से एडवोकेट श्री राजेश कुमार वर्मा ने दिनांक 24.07.2025 को जवाब पेश नही कर वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 69 राज0 काश्तकारी अधिनियम पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगणों का जवाब बन्द किया जाता है। वकील अप्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1951 के नियम 69 के तहत तहसीलदार महोदय की जॉच रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना बाध्यकारी है लेकिन उक्त प्रकरण में आज दिनांक तक नियम की पालना नही हो सकी है बिन तहसीलदार की जॉच रिपोर्ट के प्रकरण का निस्तारण किया जाना विधि अनुसार सम्भव नही है। तहसीलदार महोदय द्वारा मौके अनुसार जॉच रिपोर्ट प्रकरण में रिकार्ड पर नही है अर्थात प्रस्तुत नही हुई है। उक्त प्रकरण में केवल पटवारी रिपोर्ट आई है ना कि तहसीलदार का जवाब या जॉच रिपोर्ट आई है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रकरण के प्रार्थी ने केवल बदनियतिपूर्व उक्त प्रार्थना पत्र के अप्रार्थीगण की भूमि में रास्ता लेना चाहता है जबकि प्रकरण के प्रार्थी को कई वैकल्पिक रास्ता पूर्व से है तथा जिस भूमि हेतु रास्ता चाहा है उससे पहले प्रकरण के प्रार्थी के परिवार की भूमि रास्ते के पास है लेकिन फिर भी प्रकरण के प्रार्थी ने केवल बदनियतिपूर्वक प्रार्थना पत्र के अप्रार्थीगण की भूमि जिसमें प्रार्थी के रहवास के मकान इत्यादि बने हुये है मे से रास्ता लेना चाह रहा है जो एक अवैधानिक प्रकिया है। जिसके लिये स्वयं तहसीलदार महोदय मौके का जायजा मौके अनुसार लेकर वस्तुस्थिति का लिखित प्रतिकथन व जॉच प्रतिवेदन तैयार कर न्यायालय में पेश करें, उसके उपरान्त ही प्रार्थना पत्र के अप्रार्थी उक्त प्रकरण में विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया जाना संभव है। अतः तहसीलदार का जवाब व जॉच रिपोर्ट प्रकरण में मंगाया जाना विधि अनुसार आवश्यक व बाध्यकारी है तथा न्यायोचित है। वकील प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पर जवाब नही देकर सीधी बहस की। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि पत्रावली में रिपोर्ट/जवाब तहसीलदार से ही लिया गया है तथा तहसीलदार ने अपने पत्रांक/आरटी/2025/363 दिनांक 14.05.2025 से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जो सही है। अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 69 राज0 काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जावें।

अतः बहस वकील उभय पक्षों की सुनने व पैरोकार सरकार का जवाब व पत्रावली में उपलब्ध विजात का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर अप्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 69 काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम आंधी, पटवार हल्का आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 562 रकबा 0.8200है0 मे आवागमन हेतु खसरा नम्बर 558 की उत्तरी सीमा से पक्के निर्माण को छोडकर लगता हुआ 58 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडा अर्थात 232 वर्गमीटर रास्ते के रूप में भूमि को गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक बिला लगानी) के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर अमल करे एवं उक्तानुसार राजस्व नक्शें में तरमीम करे, रास्ते की भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 राशि से गणना कर दोगुना राशि अप्रार्थी सं0 1 लगायत 14 को दिलवाई जाने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 लगायत 14 के राजस्व नक्शे मे उक्तानुसार किस्म गै.मु. रास्ता कायम किया जावें। नक्शा दुरूस्त कर उक्तानुसार रास्ता कायम करने के आदेश तहसीलदार आंधी को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 28.07.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

Scanned with OKEN Scanner